रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2008/श्रावण 22, 1930
No. 441] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2008/SRAVANA 22, 1930

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 589(अ).—जबकि, भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद इसे अंतरिती बैंक कहा गया है) ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से और रिजर्व बैंक से परामर्श करके स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (इसके बाद इसे अंतरक बैंक कहा गया है) के व्यवसाय का, उसके आस्तियों एवं दायित्वों सहित, अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है;

जबकि, अधिग्रहण से संबंधित निबंधनों और शर्तों पर अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और अंतरक बैंक के बोर्ड द्वारा एक योजना के रुप में सहमति हो गई है ;

और जबकि, रिजर्व बैंक ने अंतरक बैंक और अंतरिती बैंक द्वारा सहमत इस अधिग्रहण का अनुमोदन कर दिया है और इसे केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी हेतु भेज दिया है ;

अतः अब भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 35 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश द्वारा इसकी मंजूरी देती है, नामतः -

1. (1) इस आदेश को स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का अधिग्रहण आदेश, 2008 कहा जाए।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. प्रभावी तारीख को और उस तारीख से अंतरक बैंक के व्यापारिक कार्य, जो इस आदेश के लागू होने की तारीख से पहले विद्यमान हों, बिना किसी अगले अधिनियम, लिखत या विलेख के, अंतरिती बैंक को अंतरित कर दिए जाएंगे और उसमें निहित होंगे। अंतरक बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी, जो अंतरक बैंक द्वारा धारित है, प्रभावी तारीख को रद्द समझी जाएगी।

3. अंतरिती बैंक को अंतरित और उसमें निहित व्यापारिक कार्यों में सारा व्यवसाय, आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार एवं लाभ तथा सारी सम्पत्ति नामतः चल एवं अचल, वास्तविक एवं व्यक्तिगत, मूर्त एवं अमूर्त, कब्जे में या आरक्षित, मौजूदा या आकस्मिक चाहे किसी भी प्रकृति के हों और किसी भी स्थिति में हों, जिनमें भूमि, भवन, जुड़नार (फिक्सचर), वाहन, नकदी शेष, जमाराशि, विदेशी मुद्राएं, घोषित एवं अघोषित आरक्षित राशि, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, निवेश, शेयर, लाभांश, बाण्ड, डिबेन्चर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक संस्था का प्रबंधन, औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए ऋण, अग्रिम एवं गारंटियां, भारत के अंदर एवं बाहर अंतरक बैंक के स्वामित्व, कब्जे या अधिकार में प्रभावी तारीख से ठीक पहले ऐसी सम्पत्ति से संबंधित किराया, पट्टा या बही-ऋण तथा अन्य सभी अधिकार एवं हित, तथा उनसे संबंधित सभी बही खाते, रजिस्टर, रिकार्ड एवं दस्तावेज शामिल समझे जाएंगे और यह भी समझा जाएगा कि इसमें उस समय विद्यमान अंतरक बैंक के भारत के अंदर एवं बाहर किसी भी प्रकार के सभी ऋण, देयताएं एवं दायित्व भी शामिल होंगे ;

4. प्रभावी तारीख के ठीक पहले विद्यमान सभी संविदाएं, विलेख, बाण्ड, गारंटियां, अटर्नी अधिकार, अन्य लिखत एवं कार्य-व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू होंगी और अंतरिती बैंक के विरुद्ध एवं उसके पक्ष में लागू होंगी और इस तरह पूर्णरूपेण और प्रभावी तरीके से लागू होंगी मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती बैंक का नाम रहा हो या वह उसका एक पक्षकार हो ;

5. अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकरण में लंबित सभी कार्यवाहियां या वाद-हेतुक, वाद, डिक्री, वसूली प्रमाण पत्र, अपील और सभी अन्य कानूनी कार्यवाहियां प्रभावी तारीख से उस अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे जारी रहेंगे या लागू होंगे जिसे इस आदेश द्वारा अंतरक बैंक ने निहित किया है, मानो यह आदेश लागू न हुआ होता तो ये अंतरक बैंक के द्वारा या उसके विरुद्ध लागू होते और अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध रोक दिए जाएंगे ;

6. अंतरक बैंक का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (निदेशक बोर्ड या कार्यपालक न्यासी को छोड़कर) जो प्रभावी तारीख से ठीक पहले सेवा में हों, अंतरिती बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमत शर्तों पर अंतरिती बैंक में अपना पद धारण करेगा या उसके अंतर्गत सेवाएं देगा तथा अंतरिती बैंक के अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, बशर्ते अंतरक बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रस्तावित वेतन एवं भत्ते अंतरक बैंक में उनके द्वारा आहरित समग्र वेतन एवं भत्तों से कम न हों।

7. अंतरिती बैंक का अध्यक्ष अंतरिती बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के तहत गठित अनुषंगी बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की अंतरक बैंक के अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों पर अपेक्षा कर सकता है।

8. जहां अंतरक बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अंतरिती बैंक के रोजगार में होने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, वहां ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को अंतरिती बैंक की सेवा में जारी समझा जाएगा।

9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1949 (1947 का 14) में या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, अंतरक बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का अंतरिती बैंक को अंतरण ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1949 (1947 का 14) में या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं बनाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो अंतरक बैंक की सेवा से प्रभावी तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिन्होंने इस प्रभावी तारीख के बाद अंतरिती बैंक की सेवा में न आने का विकल्प चुना है और अंतरक बैंक से किसी लाभ, अधिकार या विशेष सुविधाओं के लिए पात्र हैं, अंतरिती बैंक से ऐसे लाभ, अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11. अंतरक बैंक की भविष्य निधि या उपदान निधि या पेंशन निधि या कोई अन्य निधि या अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए सृजित, स्थापित या गठित कोई अन्य निकाय, जैसी भी स्थिति हो, अंतरिती बैंक के पास ही रहेंगे और भविष्य निधि या उपदान निधि या पेंशन निधि या किसी अन्य निधि को मंजूर की गई कोई आयकर या कोई अन्य कर संबंधी छूट अंतरिती बैंक पर लागू रहेगी।

12. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून या अंतरक बैंक के विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, न्यासी, कार्यपालक न्यासी या अंतरक बैंक के व्यवसाय और कार्यों का पूर्णरुपेण या उसके पर्याप्त भाग का प्रबंधन करने के लिए पात्र कोई अन्य व्यक्ति पद हानि के लिए या अंतरक बैंक के साथ उसके द्वारा की गई रोज़गार की किसी संविदा की समयपूर्व समाप्ति के लिए यथास्थिति अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

[फा. सं. 26/2/2007-बीओए]
अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 13th August, 2008

G.S.R. 589(E).—Whereas, the State Bank of India (hereinafter referred as the *Transferee* Bank), with the *sanction* of the Central *Government* and in *consultation* with Reserve Bank, has entered into negotiation for acquiring the business, including the assets and liabilities of the State Bank of Saurashtra (hereinafter referred as the Transferor Bank);

Whereas, the terms and conditions relating to acquisition have been agreed upon by the Central Board of Transferee Bank and the Board of the Transferor Bank in the form of a Scheme;

And whereas, the Reserve Bank has approved to such acquisition agreed upon, by the Transferor Bank and the Transferee Bank, and submitted the same to the Central Government for its sanction;

Now therefore, in pursuance of powers conferred under sub-section (2) of section 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, by the following Order, accords its sanction, namely:-

1. (1) This Order may be called as the Acquisition of State Bank of Saurashtra Order, 2008.

(2) It shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

2. On and from the effective date, the undertaking of the Transferor Bank, as it stood before the effective date of this Order, shall, without any further act, instrument or deed, stand transferred to, and vest in, the Transferee Bank. The entire share capital of the Transferor Bank, which is held by the Transferor Bank shall stand cancelled on the effective date.

3. The undertaking of the Transferor Bank which is transferred to, and vest in, the Transferee Bank shall be deemed to include all business, assets, rights, powers, authorities and privileges and all properties namely movable and immovable, real and personal, corporeal and incorporeal, in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and whatsoever situate including lands, buildings, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, benevolent reserve fund, any other fund, stock, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees given to industrial concerns, other tenancies, leases and book-debts and all other rights and interests arising out of such property as were immediately before the effective date in the ownership, possession or power of the Transferor Bank within or outside India, all books of account, registers, records and documents relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting of the Transferor Bank;

4. All contracts, deeds, bonds, guarantees, powers-of-attorney, other instruments and working arrangements subsisting immediately before the effective date shall be of as full force and effect against or in favour of the Transferee Bank and enforceable as fully and effectually as if instead of the Transferor Bank, the Transferee Bank had been named therein or had been a party thereto;

5. Any proceeding or cause of actions, suits, decrees, recovery certificates, appeals and all other legal proceedings pending before any court or tribunal or any authority by or against the Transferor Bank may, as from the effective date, be continued and enforced by or against the Transferee Bank in which the Transferor Bank has vested by virtue of this Order as it might have been enforced by or against the Transferor Bank as if this Order had not been in force and shall cease to be enforceable by or against the Transferor Bank;

6. Every officer or other employee of the Transferor Bank (except the Board of Directors and Executive Trustee) serving in the employment immediately before the effective date shall become, as from the effective date, and shall hold his office or service therein in the Transferee Bank on such terms and conditions approved by the Board of the Transferee Bank and shall continue to work as an officer or, as the case may be, employee of the transferee Bank:
Provided that the pay and allowances offered to the employees / officers of the Transferor Bank shall not be less favourable, overall, as compared to what they would have drawn in the Transferor Bank.

7. The Chairman of the Transferee Bank may require the services of such officers or other employees of Transferee Bank or a Subsidiary Bank constituted under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, as it may deem fit, on such terms and conditions for the purposes of acquisition of Transferor Bank.

8. Where an officer or other employee of the Transferor Bank does not exercise any option to be in employment of the Transferee Bank, such officer or employee shall be deemed to have continued in the service of the Transferee Bank.

9. Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1949 (14 of 1947) or in any other law for the time being in force, the transfer of the services of any officer or other employees of the Transferor Bank to the Transferee Bank shall not entitle to such officer or other employees to any compensation under the provisions of the Industrial Dispute Act, 1949 (14 of 1947) or any other law for the time being in force and no such claim shall be allowed by any court, tribunal or any other authority;

10. The officers or other employees who have retired before the effective date from the service of the Transferor Bank or opted not to join in the service of the Transferee Bank after this effective date and entitled to any benefits, rights or privileges from Transferor Bank shall be entitled to receive such benefits, rights or privileges from the Transferee Bank.

11. The Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other Funds of Transferor Bank and any other bodies created, established or constituted, as the case may be, for the officers or other employees shall continue with the Transferee Bank and any income tax or other tax exemption granted to the Provident Fund or the Gratuity Fund or Pension Fund or any other Funds, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank.

12. Notwithstanding anything contained in the State Bank of India Act, 1955 or the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 or any other law for the time being in force or the regulations of the Transferor Bank, the Chairman, the Trustees, Executive Trustees or any other person entitled to manage the whole or substantial part of the business and the affairs of the Transferor Bank shall not be entitled to any compensation against the Transferor Bank or Transferee Bank, as the case may be, for the loss of office or for the premature termination of any contract of employment entered into by him with the Transferor Bank.

[F. No. 26/2/2007-BOA]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

3064 GI/08-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.